संख्या ए–1–137 / दस–2012–10(42) / 2010

प्रेषक,

डा0 बी0एम0 जोशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (लेखा) अनुभाग–1 लखनऊ, दिनांक 07 फरवरी, 2012

विषय :– वेतन समिति 2008 द्वारा पेंशन प्रकिया के सरलीकरण के सम्बन्ध में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों पर कार्यवाही।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पेंशन प्रकिया के सरलीकरण के सम्बन्ध में समिति की संस्तुतियां वित्त विभाग को उपलब्ध करायी गयी थी। सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा इस सम्बन्ध में उक्त संस्तुतियों पर निम्नलिखित निर्णय लिया गया है:–

1– यदि पेंशनर्स कोषागार को अपनी अन्य स्रोत से आय का विवरण उपलब्ध कराते है तो कोषागार स्तर पर पेंशन की धनराशि तथा अन्य स्रोत से प्राप्त आय की कटौती कोषागार स्तर पर सुनिश्चित की जाये तथा इस सम्बन्ध में आय सम्बन्धी पूर्ण विवरण पेंशनर्स को उपलब्ध कराया जाय।

2– कोषाधिकारियों द्वारा स्थायी रूप से विकलांग और मानसिक रूप से विक्षिप्त पेंशनरों की सूची रखी जाये और उनसे सम्बन्धित जीवनकालीन प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा घर जाकर अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी / कर्मचारी को भेजकर प्राप्त किये जाने की व्यवस्था की जाये।

उपर्युक्त के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को कृत कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 बी0एम0 जोशी)
सचिव।

संख्या–ए–1–137 (1) / दस–2012 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम / द्वितीय) उ0प्र0 इलाहाबाद।

1474-G.O.

2— समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0।

3— समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

4— निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 जवाहर भवन लखनऊ।

5— निदेशक, पेंशन, उ0प्र0 इन्दिरा भवन, लखनऊ।

6— समस्त मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी, उ0प्र0।

7— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजीव श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

148-Ir-G.O.